अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक अगस्त 2008।

निविदा सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु डी0 जी0 आर0, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी जो इस कार्य हेतु श्रम विभाग, बिहार सरकार से निबंधित है से निविदा प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर सिर्फ निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से निविदा आमंत्रित की जाती है। इस निविदा की सारी जानकारियॉ बिहार सरकार के वेबसाइट-www.prdbihar.org के अतिरिक्त पी०एम०सी०एच० के वेबसाइट www.pmch.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस का अधीक्षक कार्यालय से निविदा के शर्त एवं सुची प्राप्त की जा सकती है।

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना।

अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक अगस्त 2008।

प्रकाशित निविदा की शर्तें

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के लिए आंतरिक सुरक्षा हेतु इच्छुक ऐजेंसी द्वारा विविदा आमंत्रित की जाती है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना का प्रांगण राजेन्द्र सर्जिकल ब्लौक/आई0 जी0 सी0 सी0 से लेकर चर्म एवं रति रोग अंत: विभाग, निकट दरभंगा हाउस तक एवं गंगा किनारे से लेकर अशोक राज पथ तक है। इसके विभिन्न विभागों जैसे आई0 जी0 सी0 सी0/आर0 एस0 बी0/रेडियम विभाग/स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग/शिशु रोग विभाग/टाटा वार्ड/औषधि वार्ड/आंख, कान, नाक एवं गला विभाग एवं चर्म रोग एवं रति रोग अंत:विभाग में पासधारी व्यक्तियों का जाना सुनिश्चित करना है। सभी मरीजों के पास सिर्फ दो अभिभावक सुनिश्चित करना है, और सभी आकस्मिकी में चिकित्सकों के कक्ष के सामने कार्य/सभी वाह्य विभाग/केन्द्रीय रजिस्ट्रेशन सेंटर/केन्द्रीय पैथोलौजी/दवा वितरण केन्द्र में मरीजों को क्रमवद करना एवं विधि व्यवस्था कायम रखना है। पुरे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना परिसर में अनाधिकृत वाहनों को परिसर से बाहर निकालना एवं मरीजों को लाने वाले वाहनों को सुनिश्चित करने के उपरांत आकस्मिकी तक जाने की अनुमति देना एवं मरीज उतारने के पश्चात् वाहन को तुरंत परिसर से वाहर करना है। इन कार्यों के संपादन हेतु इच्छुक सुरक्षा एजंन्सी उपर्युक्त कार्यों के संपादन के लिए अपना प्राक्लन तैयार कर अस्पताल प्रशासन को तकनिकी एवं वित्तीय निविदा के साथ देगें। प्राक्लन में तीन(3), सिक्यूरिटी पदाधिकारी/आठ(8), सुपरवाईजर एवं एक सौ बानवे(192), महिला एवं पुरूष सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए। कुल अधिकतम सुरक्षा कर्मीयों की संख्या दो सौ तीन(203), होगी। निविदा अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पदनाम से सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि से तीस(30) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से प्राप्त हो जान चाहिए। समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा निबंधित सुरक्षा/डी0 जी0आर0 एजेन्सी से ही स्वीकार किये जायेगें।

1. प्राईवेट निविदादाता एजेन्सी को इस कार्य हेतु निबंधन प्रमाण-पत्र, श्रम विभाग, बिहार में निबंधन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। डी0जी0आर0, गृह रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में निबंधन प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित होना चाहिए।
2. प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी अंचलाधिकारी से प्राप्त आवास प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। डी0 जी0

आर0 में निबंधित एजेन्सी सेन्ट्रल एक्साईज, पटना में निबंधित होना चाहिए।

3. संबंधित थाना से आचरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति(दोनों के लिए)।
4. प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी के गार्ड, हृष्ट-पुष्ट के साथ उनकी उचाई पुरूषों के 5 फीट छः इंच से अधिक तथा महिलाओं के लिए 5 फिट 2 इंच से अधिक होना चाहिए तथा उनकी उम्र 22 वर्ष से 45 के बीच होनी चाहिए। डी0 जी0 आर0 में निबंधित एजेन्सी में भूतपूर्व सैनिक(सेवा निवृत) होना चाहिए।
5. सेवा निवृत सैनिक की उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।
6. प्राईवेट सुरक्षा गार्ड/भूतपूर्व सैनिक मानसिक एवं शारिरीक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
7. डी0 जी0 आर0 में निबंधित एजेन्सी का पांच(5) साल का सरकारी/प्रतिष्ठित एवं बड़े-बड़े गैर सरकारी संस्थान(जहॉं 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी कार्य करतें हों) में संतोषजनक कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
8. एजेन्सी को पुरे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना का आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपने स्तर से प्राक्लन(Statement) तैयार कर अस्पताल प्रशासन को तकनिकी निविदा के साथ देना होगा।
9. डी0 जी0 आर0 से संबंधित कागजात एवं प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी से संबंधित सभी कागजात अभिप्रमाणित कर तकनिकी निविदा के साथ संलग्न कर देना होगा।
10. निविदा स्वीकृति के पश्चात् सुरक्षा गार्ड को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा तथा मेडिकल बोर्ड के द्वारा स्वच्छ पाये जाने के पश्चात् हीं गार्ड को डियूटी पर लगाया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उम्र से संबंधित कागजात/डिस्चार्य बुक की मुल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
11. कार्य पर लगाये गये सुरक्षा गार्ड का कार्य संजोषजनक नहीं पाये जाने पर उस व्यक्ति विशेष को 24 घंटे की सूचना देकर कार्य से वंचित कर दिया जायेगा। तथा उनके जगह पर नये गार्ड को रखने हेतु अस्पताल प्रशासन से पूर्वानुमति लेन होगा। बिना पूर्वानुमति लिये रखे गये गार्ड का मानदेय का भुगतान अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं किया जायेगा।
12. डी0 जी0 आर0 में निबंधित निविदादाता एवं प्राईवेट एजेन्सी को 50,000/-(पचास हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफट अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पदनाम से अग्रधन की राशि तकनिकी निविदा के साथ देना होगा।
13. निविदा को दो अलग-अलग सील बंद लिफाफा में देना होगा।
    (क) तकनिकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा, किसी प्रकार का व्यवधान होने पर कानुन का दायरा क्षेत्र पटना होगा।

14. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सुरक्षित होगा।
15. निविदा टंकित प्रति में होना चाहिए, कटिंग, ओभर राईटिंग निविदा स्वीकार नहीं किये जायेगें।
16. निविदा स्वीकृत होने पर एजेन्सी को 20(बीस) दिनों के अन्दर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा। समय सीमा के अन्दर एजेन्सी द्वारा गार्ड नहीं उपलब्ध कराने पर उनका निविदा स्वत: रद्द समझा जायेगा।
17. जिन सुरक्षा गार्ड को कर्तव्यों पर संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उन्हें 100/- से 200/- रू0 तक आर्थिक दण्ड दिया जायेगा। जिसकी कटौति उनके मासिक विपत्र से कर ली जायेगी।
18. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर एजेन्सी को 10,000/-(दस हजार) रू0 प्रतिदिन आर्थिक दंड दिया जा सकेगा। जिसका समायोजन उनके विपत्र से कर ली जायेगी।
19. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को गार्ड मुहैया कराने के पूर्व निविदा के सभी शर्तों का पालन करने का एकरारनामा जुडिसियल स्टाम्प पर करना होगा।
20. मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ पाये जाने गार्ड का तीन प्रति में स्टाम्प साईज फोटो एजेन्सी द्वारा अभिप्रमाणित कर कार्यालय में देना होगा अन्यथा गार्ड से कार्य नहीं लिया जायेगा।
21. कार्यालय द्वारा अधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा तीनों पाली में कार्यरत गार्ड का उपस्थित पंजी अवलोकन करने का अधिकार होगा।
22. आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना।